

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2021—आषाढ़ 29, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2021

क्र. 8545-218-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १३ सन् २०२१

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२१

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक २० जुलाई, २०२१ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ तथा
अधिनियम क्रमांक
३७ सन् १९६१ का
अस्थाई रूप से
संशोधित किया
जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) धारा ३ तथा ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश
अधिनियम क्रमांक
२३ सन् १९५६
का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा ५ में,—

(एक) उपखण्ड (१०-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१०-क) “कालोनाईजर” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;”;

(दो) खण्ड (१०-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१०-ख) “कालोनी” से अभिप्रेत है, किसी भूमि का भाग जिसे आवासीय या गैर आवासीय या दोनों के प्रयोजन से, भूखण्डों में विभाजित करके या उस पर अपार्टमेंट निर्मित करके विक्रय करने या अन्यथा अंतरित करने के आशय से विकसित किया गया है या वह विकास के अधीन है;”;

(तीन) विद्यमान खण्ड (५७-क) को खण्ड (५७-ख) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (५७-ख) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(५७-क) “अनधिकृत कालोनी” से अभिप्रेत है, कोई कालोनी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त किए बिना विकसित किया गया है या जो विकास के अधीन है;”.

(२) धारा ८० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“८०. निगम के स्वामित्व की या उसमें निहित अथवा उसके प्रबंधन के अधीन कोई भी अचल अथवा चल सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, अंतरण या अन्यथा द्वारा व्ययन, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित के सिवाय नहीं किया जाएगा.”. अचल अथवा चल सम्पत्ति का व्ययन.

(३) धारा ८१-क का लोप किया जाए.

(४) धारा २९२-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“२९२-क. (१) राज्य सरकार, कालोनाइजर के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पदाभिहित करेगी. कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण.

(२) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार विहित करे:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शासकीय इकाई, जिसे वह उचित समझे, कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण से छूट दे सकेगी.

(३) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, के अतिक्रमण के लिए कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर सकेगा:

परन्तु कालोनाइजर को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

(४) उपधारा (३) के अधीन जारी निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, की जा सकेगी.”.

(५) धारा २९२-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“२९२-ख. (१) कालोनाइजर, आयुक्त से ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, कालोनी का विकास करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा: कालोनियां विकसित करने के लिए अनुज्ञा.

परन्तु कालोनी का विकास करने के लिए कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु यह भी कि, आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.

- (२) (क) कालोनाइजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह के व्यक्तियों को भी पूर्ण विकसित भूखण्ड अथवा निर्मित निवास इकाईयां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (ख) ऐसे भूखण्डों या निवास इकाईयों का आकार, संख्या या अवस्थिति ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (ग) ऐसे भूखण्डों या निवास इकाईयों का विक्रय मूल्य तथा उन व्यक्तियों जिन्हें कालोनाइजर द्वारा यह विक्रय किए जा सकते हैं, के चयन की प्रक्रिया, ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (३) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भूखण्डों या निवास इकाईयों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार ऐसे मामलों में, जैसा कि वह उचित समझे, शुल्क अर्थात् आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी। आश्रय शुल्क का निर्धारण, संग्रहण तथा उपयोग ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए।
- (४) ऊपर उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा के अनुसार, कालोनाइजर नागरिक अधोसंरचना जैसे, सड़कें, खुला स्थान, जल आपूर्ति, बिजली, सीवेज तथा आमोद-प्रमोद क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
- (५) कालोनाइजर, उपधारा (४) में यथा उल्लिखित विकास की लागत के विरुद्ध बैंक गारण्टी या ऐसी संख्या में यथास्थिति, भूखण्डों या भवनों का बंधक प्रस्तुत करेगा। ऐसी बैंक गारण्टी या बंधक सम्पत्तियों को ऐसी रीति से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, मुक्त किया जाएगा।
- (६) कालोनाइजर, विहित रीति में, कालोनी की समस्त सही जानकारी बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रदर्शित करेगा।
- (७) कालोनाइजर, उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई विकास अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों का पालन करेगा।
- (८) विकास पूर्ण होने पर, आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति में समापन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (९) उपधारा (५) के सिवाय, इस धारा के उपबंध धारा २९२-क की उपधारा (२) के परन्तुक में उल्लिखित इकाई पर ऐसे उपांतरण के साथ, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, लागू होंगे।”

(६) धारा २९२-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

अनुज्ञा के
अतिक्रमण के
विरुद्ध कार्रवाई.

“२९२-ख क. (१) यदि धारा २९२-ख की उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों का अतिक्रमण होता है तो आयुक्त, उस सीमा तक जितना कि आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में, धारा २९२-ख की उपधारा (५) के अधीन बैंक प्रत्याभूति को भुना सकेगा या बंधक सम्पत्ति को समपहत तथा व्ययन कर सकेगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि, अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, उपयोग की जाएगी:

परन्तु यदि समपहत संपत्तियों के व्ययन से या बैंक प्रत्याभूति भुनाकर वसूल की गई राशि से अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो शेष राशि कालोनाइजर से भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य होगी:

परन्तु यह और कि कालोनाइजर को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.''

(७) धारा २९२-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

- धारा २९२-ग. (१)** यथास्थिति, कोई भूमि स्वामी या व्यक्ति अथवा दोनों, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कालोनी के विकास का कार्य करता है, तो वह अनधिकृत कालोनी विकसित करने का अपराध कारित करता है।
- (२) कोई कालोनाइजर, जो धारा २९२-ख की उपधारा (४) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी भूमि का विक्रय द्वारा या अन्यथा अंतरित करता है या ऐसी भूमि पर अनुज्ञेय से भिन्न अन्य निर्माण करता है, तो वह अनुज्ञा के अतिक्रमण का अपराध कारित करता है।
- (३) उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे किन्तु कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण, आयुक्त या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत के सिवाय नहीं कि जाएगी।
- (४) जो कोई उपधारा (१) और (२) के अधीन कोई अपराध कारित करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकेगा तथा जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.''

८. धारा २९२-घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“२९२-घ. (१) आयुक्त, कोई सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा किसी अनधिकृत कालोनी की पहचान कर सकेगा।

अनधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना के उपबंध.

- (२) आयुक्त, ऐसी कालोनी को अनधिकृत कालोनी के रूप में अवधारित करने के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।
- (३) आयुक्त, प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, कारणों को कथित करते हुए, किसी कालोनी को अनधिकृत कालोनी के रूप में घोषित कर सकेगा।
- (४) आयुक्त, ऐसी कालोनी का प्रारूप अभिन्यास तैयार करेगा तथा अनधिकृत कालोनी में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयोजन से अभिन्यास को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों से, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा।
- (5) उपधारा (१) से (४) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि अनधिकृत कालोनी,—
- (क) शासकीय भूमि या विकास प्राधिकरण/गृह निर्माण तथा अधोसंरचना विकास मण्डल/नागरिक स्थानीय निकायों की भूमि पर विकसित की गई है;
- (ख) विकास योजना में सड़कों पाकों, खेल के मैदानों, सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों, नदियों, नालियों के क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के क्षेत्रों तथा जल निकायों के रूप में अभिहित क्षेत्र पर अवस्थित है;

(ग) राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के वर्जित क्षेत्र में अथवा किसी केन्द्रीय या राज्य विधि के अधीन अधिसूचित किसी अन्य वर्जित क्षेत्र पर विकसित की गई है;

(घ) ऐसे किसी क्षेत्र में है जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.

(६) उपधारा (४) के अधीन प्रारूप अभिन्यास (ले आउट) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिउत्तम संभव अनुपालन में तैयार किया जाएगा.

(७) आयुक्त, कालोनी के हितधारकों को सुनेगा तथा आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् अनधिकृत कालोनी के अभिन्यास (ले आउट) को अंतिम रूप देगा तथा नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्राक्कलन, ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, करेगा:

परन्तु ऐसी अधिसूचना धारा २९२-ग की उपधारा (३) के अधीन आयुक्त द्वारा लिखित शिकायत किए जाने के पश्चात् ही जारी की जाएगी.

(८) आयुक्त, हितधारकों से, ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विकास शुल्क अवधारित करने तथा संग्रह करने के लिए प्राधिकृत होगा:

परन्तु नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की लागत निगम से उपलब्ध होने वाली निधि में से भी प्राप्त हो सकेगी या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.

(९) आयुक्त, उस व्यक्ति की सम्पत्तियों को जिसने धारा २९२-ग की उपधारा (१) तथा (२) के अधीन अपराध कारित किया है, परिलक्षित कर सकेगा तथा कुर्क कर सकेगा, चाहे ऐसी सम्पत्ति कालोनी में या कहीं बाहर अवस्थित है. इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्तियों का निराकरण नागरिक अधोसंरचना के विकास की लागत प्राप्त करने के लिए किया जाएगा. उसकी कुर्की तथा विक्रय की रीति ऐसे होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए:

परन्तु ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

(९) धारा २९२-घ का लोप किया जाए.

(१०) धारा २९२-ड के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनधिकृत
कालोनियों में
अभिन्यास (ले
आउट) तथा भवन
अनुज्ञा का
नियमितकरण.

"२९२-ड(१) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा २९२-घ के अधीन कालोनी का अभिन्यास (ले आउट), लागू विकास योजना के अनुसार है ऐसा समझा जाएगा.

(२) यथास्थिति, भूखण्ड अथवा मकान का स्वामी, ऐसी कालोनी के लिए यथाविहित शर्तों को पूर्ण करने पर ही भवन निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा प्रशमन की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा."

(११) धारा २९२-च का लोप किया जाए.

(१२) धारा २०२-छ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“२९२-छ. आयुक्त के अधीनस्थ कोई अधिकारी या सेवक जिसे उसके द्वारा किसी अनधिकृत कालोनी निर्माण में किसी सन्निर्माण का या तो निरीक्षण करने, रिपोर्ट देने, रोकने या हटाने के लिये प्राधिकृत किया गया है, जानबूझकर ऐसी अनधिकृत कालोनी के विकास या उसमें सन्निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने में चूक करता है या अनधिकृत कालोनी निर्माण या उसमें अनधिकृत सन्निर्माण को हटाने के लिये पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के दायित्वाधीन कोई पुलिस अधिकारी, पर्याप्त संरक्षण और सहायता उपलब्ध नहीं कराता है तो वह सादा करावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा:

अनधिकृत कालोनी के विकास के विरुद्ध कार्रवाई न करने के लिए दण्ड.

परन्तु इस संबंध में आयुक्त द्वारा लिखित शिकायत के सिवाय इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण नहीं किया जाएगा.”

(१३) धारा ३०८-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“३०८-क. (१) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या बनाई गई उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल भवनों का सन्निर्माण करने के अपराध का प्रशमन कर सकेगा, यदि ऐसा सन्निर्माण,—

अनुज्ञान के बिना या अनुज्ञा के प्रतिकूल भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का प्रशमन किया जाना.

- (क) नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित नहीं करता है;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय स्थान या पर्यटन महत्व या परिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील स्थान के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;
- (ग) वाहनों की पार्किंग करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;
- (घ) सड़क की सीमाओं के भीतर या सार्वजनिक सड़कों के संरक्षण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;
- (ङ) जल निकायों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;
- (च) नदी किनारे से तीस मीटर या ऐसी और अतिरिक्त दूरी के भीतर नहीं आता है, जैसी कि संबद्ध नगर के मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट की जाए;
- (छ) किसी नाले और जल धारा के क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;
- (ज) संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है:

परन्तु अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामलों में, जिनमें अनधिकृत कालोनियों में हुए अनधिकृत निर्माण सम्मिलित हैं, के प्रशमन में फीस ऐसी दर से तथा ऐसी शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि, जिस पर सन्निर्माण किया गया है, कोई अधिकार नहीं रखता है, प्रशमन के लिए आवेदन नहीं करेगा.

(२) अनधिकृत निर्माण, जिसमें सीमांत खुले स्थानों में किया गया निर्माण सम्मिलित है, विहित फर्श क्षेत्र अनुपात के अतिरिक्त, 30 प्रतिशत की सीमा तक प्रशमन योग्य होगा.”

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश
अधिनियम क्रमांक
३७ सन् १९६१
का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा ३ में,—

(एक) खण्ड (५-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(५-ख) “कालोनाइजर” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;”;

(दो) खण्ड (५-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(५-ग) “कालोनी” से अभिप्रेत है, किसी भूमि का भाग जिसे आवासीय या गैर आवासीय या दोनों के प्रयोजन से, भूखण्डों में विभाजित करके या उस पर अपार्टमेंट निर्मित करके विक्रय करने या अन्यथा अंतरित करने के आशय से विकसित किया गया है या वह विकास के अधीन है;”;

(तीन) विद्यमान खण्ड (३७-क) को उपधारा (३७-ख) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (३७-ख) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(३७-क) “अनधिकृत कालोनी” से अभिप्रेत है, कोई कालोनी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त किए बिना विकसित किया गया है या जो विकास के अधीन है;”.

(२) धारा १०१ का लोप किया जाए,

(३) धारा १०९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“१०९. परिषद् के स्वामित्व की या उसमें निहित अथवा उसके प्रबंधन के अधीन कोई भी अचल अथवा चल सम्पत्ति का विक्रय पट्टे, अंतरण या अन्यथा द्वारा व्ययन, राज्य सरकार द्वारा यथाविहित के सिवाय नहीं किया जाएगा.”.

(४) धारा १८७-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“१८७-क. (१) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या बनाई गई उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल भवनों का सन्निर्माण करने के अपराध का प्रशमन कर सकेगा, यदि ऐसा सन्निर्माण,—

(क) नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित नहीं करता है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय स्थान या पर्यटन महत्व या परिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील स्थल के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(ग) वाहनों की पार्किंग करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

अचल अथवा चल
सम्पत्ति का व्ययन.

अनुज्ञा के बिना या
अनुज्ञा के प्रतिकूल
भवनों के सन्निर्माण
के अपराधों का
प्रशमन किया जाना.

- (घ) सड़क की सीमाओं के भीतर या सार्वजनिक सड़कों के सरिखण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;
- (ङ) जल निकायों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;
- (च) नदी किनारे से तीस मीटर या ऐसी और अतिरिक्त दूरी के भीतर नहीं आता है जैसी कि संबद्ध नगर के मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट की जाए;
- (छ) किसी नाले और जल धारा के क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;
- (ज) संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है;

परन्तु अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामलों में, जिनमें अनधिकृत कालोनियों में हुए अनधिकृत निर्माण सम्मिलित हैं, के प्रशमन में फीस ऐसी दर से तथा ऐसी शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि जिस पर सन्निर्माण किया गया है, कोई अधिकार नहीं रखता है, प्रशमन के लिए आवेदन नहीं करेगा.

(२) अनधिकृत निर्माण, जिसमें सीमांत खुले स्थानों में किया गया निर्माण सम्मिलित है, विहित फर्श क्षेत्र अनुपात के अतिरिक्त, ३० प्रतिशत की सीमा तक प्रशमन योग्य होगा.”.

(५) धारा ३३९-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“३३९-क. (१) राज्य सरकार कालोनाइजर के रूप में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पदाभिहित करेगी.

कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण.

(२) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार विहित करे:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शासकीय इकाई, जिसे वह उचित समझे, कालोनाइजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण से छूट दे सकेगी.

(३) सक्षम प्राधिकारी, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, के अतिक्रमण के लिए कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर सकेगा:

परन्तु कालोनाइजर को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

(४) उपधारा (३) के अधीन जारी निलंबन या रद्दकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, की जा सकेगी.”.

(६) धारा ३३९-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“३३९-ख. (१) कालोनाइजर, सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, कालोनी का विकास करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा:

कालोनियां विकसित करने के लिए अनुज्ञा.

परन्तु कालोनी का विकास करने के लिए कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.

- (२) (क) कालोनाइजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह के व्यक्तियों को भी पूर्ण विकसित भूखण्ड अथवा निर्मित निवास इकाईयां उपलब्ध कराई जाएंगी.
- (ख) ऐसे भूखण्डों या निवास इकाईयों का आकार, संख्या या अवस्थिति ऐसी होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए;
- (ग) ऐसे भूखण्डों या निवास इकाईयों का विक्रय मूल्य तथा उन व्यक्तियों जिन्हें कालोनाइजर द्वारा यह विक्रय किए जा सकते हैं, के चयन की प्रक्रिया, ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.
- (३) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (२) में उल्लिखित भूखण्डों या निवास इकाईयों के अतिरिक्त या उनके बदले में, राज्य सरकार ऐसे मामलों में, जैसा कि वह उचित समझे, शुल्क अर्थात् आश्रय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी. आश्रय शुल्क का निर्धारण, संग्रहण तथा उपयोग ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.
- (४) ऊपर उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा के अनुसार, कालोनाइजर नागरिक अधोसंरचना जैसे, सड़कें, खुला स्थान, जल आपूर्ति, बिजली, सीवेज तथा आमोद-प्रमोद क्षेत्र उपलब्ध कराएगा.
- (५) कालोनाइजर, उपधारा (४) में यथा उल्लिखित विकास की लागत के विरुद्ध बैंक गारण्टी या ऐसी संख्या में यथास्थिति भूखण्डों या भवनों का बंधक प्रस्तुत करेगा. ऐसी बैंक गारण्टी या बंधक सम्पत्तियों को ऐसी रीति से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, मुक्त किया जाएगा.
- (६) कालोनाइजर विहित रीति में, कालोनी की समस्त सही जानकारी बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रदर्शित करेगा.
- (७) कालोनाइजर, कालोनी विकसित करने के लिए उपधारा (१) के अधीन दी गई अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों का पालन करेगा.
- (८) विकास पूर्ण होने पर, आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति में समापन प्रमाण पत्र जारी करेगा.
- (९) उपधारा (५) के सिवाय, इस धारा के उपबंध, धारा ३३९-क की उपधारा (२) के परन्तुक में उल्लिखित इकाई पर, ऐसे उपांतरणों के साथ, जैसा कि विहित किया जाए, लागू होंगे.

(७) धारा ३३९-ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

अनुज्ञा के अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई.

“३३९-ख क. (१) यदि धारा ३३९-ख की उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों का अतिक्रमण होता है तो सक्षम प्राधिकारी, उस सीमा तक जितना कि आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में, धारा ३३९-ख की उपधारा (५) के अधीन बैंक प्रत्याभूति को भुना सकेगा या बंधक संपत्ति को समपहृत तथा व्ययन कर सकेगा. इस प्रकार वसूल की गई राशि, अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, उपयोग की जाएगी:

परन्तु यदि समपद्धत संपत्तियों के व्ययन से या बैंक प्रत्याभूति भुनाकर वसूल की गई राशि से अनुज्ञा के निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो शेष राशि कालोनाइजर से भू राजस्व के रूप में वसूली योग्य होगी :

परन्तु यह और कि कालोनाइजर को ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी .''

(८) धारा ३३९-ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

- “३३९-ग. (१) यथास्थिति, कोई भूमि स्वामी या व्यक्ति अथवा दोनों, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कालोनी के विकास का कार्य करता है, तो वह अनधिकृत कालोनी विकसित करने का अपराध कारित करता है. अपराध तथा दण्ड.
- (२) कोई कालोनाइजर, जो धारा ३३९-ख की उपधारा (४) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अधिहित किसी भूमि का विक्रय द्वारा या अन्यथा अंतरित करता है या ऐसी भूमि पर अनुज्ञेय से भिन्न अन्य निर्माण करता है, तो वह अनुज्ञा के अतिक्रमण का अपराध कारित करता है.
- (३) उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे किन्तु कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत के सिवाय नहीं की जाएगी.
- (४) जो कोई उपधारा (१) और (२) के अधीन कोई अपराध कारित करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकेगा तथा जुर्माने से जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा .''

(९) धारा ३३९-घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

- “३३९-घ. (१) सक्षम प्राधिकारी, कोई सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा किसी अनधिकृत कालोनी की पहचान कर सकेगा. अनधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना के उपबंध.
- (२) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी कालोनी को अनधिकृत कालोनी के रूप में अवधारित करने के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा.
- (३) सक्षम प्राधिकारी, प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, कारणों को कथित करते हुए, किसी कालोनी को अनधिकृत कालोनी के रूप में घोषित कर सकेगा.
- (४) सक्षम प्राधिकारी ऐसी कालोनी का अभिन्यास प्रारूप तैयार करेगा तथा कालोनी में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयोजन से अभिन्यास को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों से, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा.
- (५) उपधारा (१) से (४) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि अनधिकृत कालोनी,-
- (एक) शासकीय भूमि या विकास प्राधिकरण/गृह निर्माण तथा अधोसंरचना विकास मण्डल/नागरिक स्थानीय निकायों की भूमि पर विकसित की गई है;

- (दो) विकास योजना में सड़कों, पार्कों, खेल के मैदानों, सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों, नदियों, नालियों के क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के क्षेत्रों तथा जल निकायों के रूप में अभिहित क्षेत्र पर अवस्थित है;
- (तीन) राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के वर्जित क्षेत्र में अथवा किसी केन्द्रीय या राज्य विधि के अधीन अधिसूचित किसी अन्य ऐसे वर्जित क्षेत्र पर विकसित की गई है;
- (चार) ऐसे किसी क्षेत्र में है जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.
- (६) उपधारा (४) के अधीन ले अभिन्यास (ले आउट) प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिउत्तम संभव अनुपालन में तैयार किया जाएगा.
- (७) सक्षम प्राधिकारी, कालोनी के हितधारकों को सुनेगा तथा आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, अनधिकृत कालोनी के अभिन्यास (ले आउट) को अंतिम रूप देगा तथा नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्राक्कलन ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, करेगा:
- परन्तु ऐसी अधिसूचना धारा ३३९-ग की उपधारा (३) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित शिकायत किए जाने के पश्चात् ही जारी की जाएगी.
- (८) सक्षम प्राधिकारी, हितधारकों से, ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, विकास शुल्क अवधारित करने तथा संग्रह करने के लिए प्राधिकृत होगा:
- परन्तु नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की लागत निगम से उपलब्ध होने वाली निधि में से भी प्राप्त हो सकेगी या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.
- (९) सक्षम प्राधिकारी, उस व्यक्ति की सम्पत्तियों को जिसने धारा ३३९-ग की उपधारा (१) तथा (२) के अधीन अपराध कारित किया है, परिलिखित कर सकेगा तथा कुर्क कर सकेगा, चाहे ऐसी सम्पत्ति कालोनी में या किन्हीं बाहर अवस्थित है. इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्तियों का निराकरण नागरिक अधोसंरचना के विकास की लागत प्राप्त करने के लिए किया जाएगा. उसकी कुर्की तथा विक्रय की रीति ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए:
- परन्तु ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.”
- (१०) धारा ३३९-घ क का लोप किया जाए.

(११) धारा-३३९ ड के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“३३९-ड: (१) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ३३९-घ के अधीन कालोनी का अभिन्यास (ले आउट), लागू विकास योजना के अनुसार है ऐसा समझा जाएगा.

अनधिकृत कालोनियों में अभिन्यास (ले आउट) तथा भवन अनुज्ञा का नियमितिकरण.

(२) यथास्थिति, भूखण्ड अथवा मकान का स्वामी, ऐसी कालोनी के लिए यथाविहित शर्तों को पूर्ण करने पर ही भवन निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा प्रशमन की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा.”

(१२) धारा-३३९-च का लोप किया जाए.

(१३) धारा ३३९-छ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“३३९-छ. सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी या सेवक जिसे उसके द्वारा किसी अनधिकृत कालोनी निर्माण में किसी सन्निर्माण का या तो निरीक्षण करने, रिपोर्ट देने, रोकने या हटाने के लिये प्राधिकृत किया गया है, जानबूझकर ऐसी अनधिकृत कालोनी के विकास या उसमें सन्निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने में चूक करता है या अनधिकृत कालोनी निर्माण या उसमें अनधिकृत सन्निर्माण को हटाने के लिये पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के दायित्वाधीन कोई पुलिस अधिकारी, पर्याप्त संरक्षण और सहायता उपलब्ध नहीं कराता है तो वह सादा करावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा:

अनधिकृत कालोनी के विकास के विरुद्ध कार्रवाई न करने के लिए दण्ड.

परन्तु इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित शिकायत के सिवाय इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण नहीं किया जाएगा.”

भोपाल

तारीख 17 जुलाई 2021.

मंगुभाई छ. पटेल

राज्यपाल,

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2021

क्र. 8545/218-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 13 OF 2021

MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2021First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th July, 2021

Promulgated by the Governor in the seventy-second year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021.

M a d h y a
P r a d e s h A c t N o.
2 3 o f 1 9 5 6 a n d
A c t N o. 3 7 o f
1 9 6 1 t o b e
t e m p o r a r i l y
a m e n d e d.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 and 4.

PART I**AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT,
1956 (NO. 23 OF 1956)**A m e n d m e n t t o
t h e M a d h y a
P r a d e s h A c t N o.
2 3 o f 1 9 5 6.

3. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—

(1) In Section 5,—

(i) for clause (10-a) the following clause shall be substituted, namely :—

"(10-a) "Colonizer" means a person, who is registered as Colonizer by the Competent Authority under the Act;";

(ii) for clause (10-b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(10-b) "Colony" means a land parcel which is developed or is under development, either by dividing it into plots or constructing apartments on it, for residential, or non-residential purpose or both with intent to transfer by sale or otherwise;";

(iii) the existing clause (57-a) shall be renumbered as clause (57-b) and before so renumbered clause (57-b), the following clause shall be inserted, namely :—

"(57-a) "unauthorised colony" means a colony which is developed or is under development without obtaining necessary permission under the provisions of this Act;".

(2) For Section 80, the following Section shall be substituted, namely :—

"80. No immovable or movable property owned by or vested in or under the management of the Corporation shall be sold, leased, transferred, or otherwise disposed, save as prescribed by the State Government."

Disposal of immovable or movable property.

(3) Section 81-A shall be deleted

(4) For Section 292-A, the following Section shall be substituted, namely :—

"292-A. (1) The State Government shall designate a competent authority for registration of a person as a colonizer.

Registration as a colonizer.

(2) An application for registration shall be made to the competent authority in such manner as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, by notification, exempt such Government entity, as it deems appropriate, from the registration as Colonizer.

(3) The Competent Authority may suspend or cancel the registration of the colonizer for violation of such terms and conditions, as may be prescribed by the State Government:

Provided that no such action shall be taken without giving an opportunity of hearing to the colonizer in such manner as may be prescribed.

(4) An appeal against an order of cancellation or suspension issued under subsection (3), may be filed before such Authority, as may be prescribed by the State Government."

(5) For Section 292-B, the following Section shall be substituted, namely :—

"292-B. (1) A colonizer shall obtain the permission to develop a colony from the Commissioner in such manner as may be prescribed by the State Government:

Permission to develop colonies.

Provided that no application to develop a colony shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of hearing:

Provided further that the appeal against the order of the Commissioner for refusal to grant permission shall lie with such Authority as may be prescribed by the State Government.

(2) (a) The colonizer, shall also provide fully developed plots or constructed dwelling units for the persons belonging to economically weaker section and low-income group.

(b) The size, number and location of such plots or dwelling units shall be such as may be prescribed by the State Government.

(c) The sale price of such plots or dwelling units and the process of selection of the persons to whom those may be sold by the colonizer shall be such as may be prescribed by the State Government.

- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, in addition to or in lieu of the plots or dwelling units mentioned in sub-section (2), the State Government may, in such cases as it may consider appropriate, impose a fee to be called the shelter fee. The shelter fee shall be determined, collected and utilized in such manner as may be prescribed.
 - (4) The colonizer shall provide civic infrastructure like roads, open space, water supply, electricity, sewerage and recreational area in accordance with the permission granted under sub-section (1) above.
 - (5) The colonizer shall submit a bank guarantee or mortgage such number of plots or buildings, as the case may be, against cost of development as mentioned in sub-section (4). Such bank guarantee or the properties mortgaged shall be released in such manner as may be prescribed by the State Government.
 - (6) The colonizer shall display correct information for public at large about the colony in the prescribed manner.
 - (7) The colonizer shall comply with the terms and conditions of the development permission granted under sub-section (1).
 - (8) On completion of the development, the Commissioner shall issue a completion certificate in a manner as prescribed by the State Government.
 - (9) The provisions of this section, except sub-section (5), shall be applicable to the entities mentioned in proviso of sub-section (2) of section 292-A with such modifications as may be prescribed by the State Government."
- (6) After section 292-B, the following section shall be added, namely :—

Action against violation of permission.

"292-BA. (1) The Commissioner may, encash the bank guarantee or forfeit and dispose of the properties mortgaged under sub-section (5) of Section 292-B to such extent, as may be required, if the terms and conditions of permission granted under sub-section (1) of section 292-B are violated, in manner as prescribed by the State Government. The amount so recovered shall be utilized to fulfil the terms and conditions of the permission in such manner, as may be prescribed:

Provided that in case the amount recovered from disposal of forfeited properties or encashment if bank guarantee does not meet requirement to fulfil the terms and conditions of permission, the balance amount shall be recoverable from the colonizer as the arrears of land revenue:

Provided further that no such action shall be taken without giving opportunity of hearing to the colonizer in such manner as may be prescribed."

- (7) For Section 292-C, the following section shall be substituted namely:—

"292-C. (1) The land-owner or person or both, as the case may be, who undertakes the development of a colony without obtaining the permission under the provisions of this Act and rules made thereunder, commits the offence of developing an unauthorized colony.

Offences and punishment.

- (2) Any colonizer who transfers by sale or otherwise any land designated for purpose mentioned in sub-section (4) of Section 292-B or undertakes construction other than that permissible on such land commits the offence of violating the permission.
- (3) The offences under sub-sections (1) and (2) shall be cognizable but no enquiry or ingving investigation shall be carried out except on a written complaint by the Commissioner or an officer authorized by him in this regard.
- (4) Whosoever comits or abets the commission of an offence mentioned under sub-sections (1) and (2) shall be punished with imprisonment which shall not be less than three years but which may extend up to seven years and with fine which may extend up to ten lakhs rupees.”.
- (8) For Section 292-D the following Section shall be substituted, namely:-
- “**292-D.** (1) The Commissioner on receipt of any information or otherwise, may identify an unauthorized colony.
- (2) The Commissioner shall issue public notice, inviting objections againsts determining such colony as unauthorized colony.
- (3) The Commissioner shall, after considering objections received if any, may declare any colony as an unauthorized colony stating reasons thereof.
- (4) The Commissioner shall prepare a draft layout of such colony and publish a public notice inviting objections and suggestions, in such manner as may be prescribed, from the stakeholders for finalizing the lay out for the purpose of providing civic infrastructure in the unauthorized colony.
- (5) No action under sub-section (1) to (4) shall be taken if the unauthorized colony,-
- (a) has been developed on Government land or the land of the Development Authority/Housing and Infrastructure Development Authority/Housing and Infrastruture Development Board/urban local bodies;
- (b) is situated on area designated as road, parks, playgrounds, areas of cultural heritage, river, area of drains, recreational areas and water bodies in the development plan;
- (c) has been developed on land falling in restricted areas along State and National Highways or any other such restricted area notified under any Central or state law;
- (d) is in such area as may be notified by the State Government.
- (6) The draft layout under sub-section (4) shall be prepared in the best possible compliance of provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Abhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and the rules made thereunder.
- (7) The Commissioner shall hear the stakeholders of the colony and after considering the objections and suggestions, finalize the lay out and estimates for providing civic infrastructure in the unauthorized colony, in such manner as may be prescribed by the State Government:

Provision of civic infrastructure in unauthorized colonies.

Provided that such notification shall be issued only after written complaint has been made by the Commissioner under sub-section (3) of Section 292-C.

- (8) The Commissioner shall be authorized to determine and collect development charges from the stakeholders in such manner as may be prescribed by the State Government:

Provided that the cost of providing civic infrastructure may also be met out of the funds available with the Corporation or as may be prescribed by the State Government.

- (9) The Commissioner may identify and attach the properties of the person who has committed offence under sub-sections(1) and (2) of Section 292-C, whether such property is situated in the colony or anywhere outside. The Properties so attached shall be disposed to meet the cost of development of civic infrastrucure. The Manner of attachment and sale thereof shall be such as may be prescribed by the State Government:

Provided that appeal against such order may be filed before such Authority as may be prescribed by the State Government.”.

- (9) Section 292-DA shall be deleted;
- (10) For section 292-E, the following Section shall be substituted, namely :—

"292-E. (1) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 and the rules made thereunder, the layout of the colony under Section 292-D, shall be deemed to be in accordance with the applicable development plan.

- (2) The owner of the plot or the house, as the case may be, shall on fulfilment of the conditions, as prescribed for such a colony, be eligible to apply for permission of erection, re-erection or compunding of building.”.

- (11) Section 292-F shall be deleted.
- (12) For Section 292-G, the following Section shall be substituted, namely :—

"292-G. Any officer or servant subordinate to the Commissioner who has been authorised by him either to inspect, report, stop or to remove any construction in unauthorized colony knowingly omits to take action against development of such unauthorized colony or construction therein, forthwith or a police officer responsible to provide police assistance for removal of unauthorized colony or unauthorized construction therein, does not provide adequate protection and support, shall be punished with a simple imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both:

Regularization of layout and building permission in unauthorized colonies.

Punishment for not taking action against development of unauthorized colony.

Provided that no enquiry or inquiry or investigation shall be carried out by a Police Officer under this Section except on a written complaint by the Commissioner in this regard.”.

(13) For Section 308-A, the following Section shall be substituted, namely:—

“308-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other Act for the time being in force or any rules or bye-laws made thereunder, the Commissioner may compound the offence of constructing buildings without permission or contrary to the permission granted, if such construction does not,—

Compounding of offences of construction of buildings without permission or contrary to permission.

- (a) affect the regular building line;
- (b) come within the area notified by the State Government as a hill station or a place of tourist importance or sensitive from the point of ecology;
- (c) come within the area specified for parking of vehicles;
- (d) come within the boundary of roads or within the area affecting alignment of public roads;
- (e) come within the area specified for water bodies;
- (f) come within thirty meters or such further distance from the bank of river, as may be specified in the master plan of the concerned town;
- (g) come within the area of any nallah and water stream;
- (h) affect the structural and fire safety:

Provided that in compounding the cases in respect of unauthorized construction, including the unauthorized constructions in the unauthorized colonies, the fee shall be charged at such rate and on such conditions, as may be prescribed by the State Government:

Provided further that no person who does not have any right over the building or the land on which the construction has been made shall make an application for compounding.

(2) The unauthorized construction, including that made in the marginal open spaces, in excess of the prescribed floor area ratio, up to a limit of 30 percent shall be compoundable.”.

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961

(No. 37 of 1961)

4. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—(1) In Section 3,—

(i) for clause (5-b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(5-b) “colonizer” means a person, who is registered as Colonizer by the Competent Authority under the Act;”;

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

(ii) For clause (5-c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(5-c) ”Colony” means a land parcel which is developed or is under development, either by dividing it into plots or constructing apartments on it, for residential, or non-residential purpose or both with intent to transfer by sale or otherwise;”;

(iii) the existing clause (37-a) shall be renumbered as clause (37-b) and before so renumbered clause (37-b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(37-a) “unauthorized colony” means a colony which is developed or is under development without obtaining necessary permission under the provisions of this Act;”.

(2) Section 101 shall be deleted.

(3) For Section 109, the following section shall be substituted, namely:—

Disposal of immovable or movable property.

“109. No immovable or movable property owned by or vested in or under the management of the Council shall be sold, leased, transferred, or otherwise disposed, save as prescribed by the State Government.”.

(4) For Section 187-A, the following Section shall be substituted, namely:—

Compounding of offences of construction of buildings without permission or contrary to permission.

“187-A.(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other Act for the time being in force or any rules or bye-laws made thereunder, the Competent Authority may compound the offence of constructing buildings without permission or contrary to the permission granted, if such construction does not,—

- (a) affect the regular building line;
- (b) come within the area notified by the State Government as a hill station or a place of tourist importance or sensitive from the point of ecology;
- (c) come within the area specified for parking of vehicles;
- (d) come within the boundary of roads or within the area affecting alignment or public roads;
- (e) come within the area specified for water bodies;
- (f) come within thirty meters or such further distance from the bank of river, as may be specified in the master plan of the concerned town;
- (g) come within the area of any nallah and water stream;
- (h) affect the structural and fire safety:

Provided that in compounding, the cases in respect of unauthorized construction, including the unauthorized constructions in the unauthorized colonies, the fee shall be charged at such rate and on such conditions, as may be prescribed by the State Government:

Provided further that no person who does not have any right over the building or the land on which the construction has been made shall make an application for compounding.

(2) The unauthorized construction, including which is made in the marginal open space, in excess of the prescribed floor area ratio, up to a limit of 30 percent shall be compoundable.”.

(5) For Section 339-A, the following Section shall be substituted, namely:—

“339-A. (1) The State Government shall designate a competent authority for registration of a person as a colonizer.

Registration as colonizer.

(2) An application for registration shall be made to the Competent Authority in such manner, as may be prescribed by the State government:

Provided that the State Government may, by notification, exempt such Government entry, as it deems appropriate, from the registration as colonizer.

(3) The Competent Authority may suspend or cancel the registration of the colonizer for violation of such terms and condition as may be prescribed by the State Government:

Provided that no action of suspension or cancellation shall be taken without giving an opportunity of hearing to the colonizer in such manner as may be prescribed.

(4) An appeal against an order of cancellation or suspension issued under sub-section (3), may be filed before such Authority as may be prescribed by the State Government.

(6) For Section 339-B, the following Section shall be substituted, namely:-

“339-B. (1) A Colonizer shall obtain the permission to develop a colony from the Competent Authority in such manner as may be prescribed by the State Government:

Permission to develop colonies.

Provided that no application to develop a colony shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of hearing:

Provided further that appeal against the order of the Competent Authority for refusal to grant permission shall lie with such Authority as may be prescribed by the state Government.

(2) (a) The Colonizer shall also provide fully developed plots or constructed dwelling units for the persons belonging to economically weaker Section and low-income group.

(b) The Size, number and location of such plots or dwelling units shall be such as may be prescribed by the state Government.

(c) The Sale price of such plots or dwelling units and the process of selection of the persons to whom they may be sold by the Colonizer shall be such as may be prescribed by the state Government.

(3) Notwithstanding anything contained in this act, in addition to or in lieu of the plots or dwelling units mentioned in sub-section (2), the state Government may, in such cases, as it may consider appropriate, impose a fee to be called the shelter fee. The shelter fee shall be determined, collected and utilized in such manner as may be prescribed.

(4) The Colonizer shall provide civic infrastructure like roads, open space, water supply, electricity, sewerage and recreational area in accordance with the permission granted under sub-section (1) above.

(5) The Colonizer shall submit a bank guarantee or mortgage such number of plots or buildings, as the case may be, against cost of development as mentioned in sub-section (4). Such bank guarantee or the properties mortgaged shall be released in manner as may be prescribed by the State Government.

(6) The Colonizer shall display correct information for public at large about the colony in the prescribed manner.

(7) The Colonizer shall comply with the terms and conditions of the development permission granted under sub-section (1).

(8) On Completion of the development, the Competent Authority shall issue a completion certificate in a manner as prescribed by the State Government.

(9) The provisions of this Section except sub-section (5) shall be applicable to the entities mentioned in proviso to sub-section (2) of Section 339-A with such modifications as may be prescribed.”.

(7) After Section 339-B, the following section shall be added, namely:-

Action against violation of permission.

“**339-BA.** The Competent Authority may, encash the Bank Guarantee or forfeit and dispose of the properties mortgaged under sub-section (5) of Section 339-B to such extent, as may be required, if the terms and conditions of permission granted under sub-section (1) of Section 339-B are Violated. in manner prescribed by the State Government. The amount so recovered shall be utilized to fulfil the terms and conditions of the permission in such manner, as may be prescribed:

Provided that in case the amount so recovered from disposal of forfeited properties or encashment of bank guarantee does not meet requirement to fulfil the terms and conditions of permission, the balance amount shall be recoverable from the colonizer, as the arrears of land revenue:

Provided further that no such action shall be taken without giving opportunity of hearing to the colonizer in such manner as may be prescribed.”.

(8) For Section 339-C, the following section shall be substituted, namely:-

Offences and punishment.

“**339-C.** (1) The Land-Owner or person, or both, as the case may be, who undertakes the development of a colony without obtaining the permission under the provisions of this Act and rules made thereunder, commits the offence of developing an unauthorized colony.

(2) Any colonizer who transfers by sale or otherwise any land designated for purpose mentioned in sub-section (4) of Section 339-B or undertakes construction other than permissible on such land commits the offence of violating the permission.

(3) The offences under sub-section (1) and (2) shall be cognizable but no enquiry or inquiry or investigation shall be carried out except on a written complaint by the Competent Authority or an officer authorized by him in this regard.

(4) Whosoever commits or abets the commission of an offence mentioned under sub-sections (1) and (2) shall be punished with imprisonment which shall not be less than three years but which may extend up to seven years and with fine which may extend up to ten lakh rupees.”.

(9) For Section 339-D, the following section shall be substituted, namely:-

Provision of civic infrastructure in unauthorized colonies.

“**339-D.** (1) The Competent Authority on receipt of any information or otherwise, may identify an unauthorized colony.

(2) The Competent Authority shall issue public notice, inviting objections against determining such colony as unauthorized colony.

(3) The Competent Authority shall, after considering objections received if any, may declare any colony as an unauthorized colony stating reasons thereof.

(4) The Competent Authority shall prepare a draft layout of such colony and publish a public notice inviting objections and suggestions, in such manner as may be prescribed, from the stakeholders for finalizing the layout for the purpose of providing civic infrastructure in the unauthorized colony.

(5) No action under sub-section (1) to (4) shall be taken if the unauthorized colony,-

(i) has been developed on Government land or the land of the Development Authority/ Housing and infrastructure Development Board/urban local bodies;

(ii) is situated on area designated as road, parks, playgrounds, areas of cultural heritage, river, area of drains, recreational areas and water bodies in the development plan;

(iii) has been developed on land falling in restricted areas along State and National Highways or any other such restricted area notified under any Central or State Law;

(iv) is in such areas as may be notified by the State Government.

(6) The draft lay out under sub-section (4) shall be prepared in the best possible compliance of provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973) and the rules made thereunder.

(7) The Competent Authority shall hear the stakeholders of the colony and after considering the objections and suggestions,

Finalize the lay out and estimates for providing civic infrastructure in the unauthorized colony, in such manner as may be prescribed by the State Government:

Provided that such notification shall be issued only after written complaint has been made by the competent Authority under sub-section (3) of Section 339-C.

(8) The Competent Authority shall be authorized to determine and collect development charges from the stakeholders in such manner as may be prescribed by the State Government:

Provided that the cost of providing civic infrastructure may also be met out of the funds available with the Council or as may be prescribed by the State Government:

(9) The Competent Authority may identify and attach the properties of the persons who has committed offence under sub-sections (1) and (2) of Sections 339-C, whether such property is situated in the colony or anywhere outside. The properties so attached shall be disposed to meet the cost of development of civic infrastructure. The manner of attachment and sale thereof shall be such as may be prescribed by the State Government:

Provided that the appeal against such order may be filed before such Authority as may be prescribed by the State Government.”.

(10) Sections 339-DA shall be deleted.

(11) For Section 339-E, the following Section shall be substituted namely:-

“339-E. (1) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and the rules made thereunder, the layout of the colony under section 339-D shall be deemed to be in accordance with the applicable development plan.

Regularization of layout and building permission in unauthorized colonies.

(2) The owner of the plot or the house, as the case may be, shall on fulfillment of the conditions, as prescribed for such a colony, be eligible to apply for permission of erection, re-erection or compounding of building.”.

(12) Section 339-F shall be deleted.

(13) For Section 339-G, the following section shall be substituted, namely:—

Punishment for not taking action against development of unauthorized colony.

“339-G. Any officer or Government servant subordinate to the competent Authority who has been authorised by him either to inspect, report, stop or to remove any construction in unauthorized colony knowingly omits to take action against development of such unauthorized colony or construction therein, forthwith or a police officer responsible to provide police assistance for removal of unauthorized colony or unauthorized construction therein, does not provide adequate protection and support, shall be punished with a simple imprisonment which may extend to Three years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both:

Provided that no enquiry or inquiry or investigation shall be carried out by a Police Officer under this section except on a written complaint by the Competent Authority in this regard.”.

Bhopal :
Dated the 17th July, 2021.

MANGUBHAI C. PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.